न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–25 / 2025

प्रार्थीः–

कानाराम उर्फ ढलाराम पुत्र गणेशाराम जाति माली निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्राथी :–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री हीराचन्द सुथार अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.05.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 390, 804 / 391, 387, 388, 800 / 389, 802 / 386,803 / 391,121 व 145 रकबा क्रमशः 0.1133, 0.0971, 0.8660, 0.7932, 0.4856, 0.7932, 1.6592, 8.5065 व 5.7384 हैक्टेयर भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, किसान कार्ड, जन आधारकार्ड, राशनकार्ड ,बैंक डायरी आदि में उसका वास्तविक नाम ''कानाराम पुत्र गणेशाराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''ढलाराम पुत्र गणेशाराम ''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2025 / 460 दिनांक 07.04.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, जन–आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, विद्युत बिल, पेन कार्ड, किसान कार्ड, बैंक डायरी आदि पेश किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''कानाराम पुत्र गणेशाराम '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी के खसरा संख्या 390, 804 / 391, 387, 388, 800 / 389, 802 / 386,

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

803/391,121 व 145 रकबा क्रमशः 0.1133, 0.0971, 0.8660, 0.7932, 0.4856, 0.7932, 1.6592, 8.5065 व 5.7384 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''ढलाराम पुत्र गणेशाराम ''त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,जन–आधार कार्ड,परिवार राशनकार्ड, पेनकार्ड, किसान कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''कानाराम पुत्र गणेशाराम की तस्दीक होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''ढलाराम पुत्र गणेशाराम'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी के खसरा संख्या 390, 804/391, 387, 388, 800/389, 802/386, 803/391, 121 व 145 रकबा क्रमशः 0.1133, 0.0971, 0.8660, 0.7932, 0.4856, 0.7932, 1.6592, 8.5065 व 5.7384 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''ढलाराम पुत्र गणेशाराम '' के स्थान पर ''कानाराम पुत्र गणेशाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:12 IST
Reason: SelfAttested